

मूल वाद मेंडिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई

आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 37 / 2025

अनिल कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी 23 एमओडी-बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र भीयाराम उर्फ भीमसेन जाति बिश्नोई निवासी 23 एमओडी-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. ईमानती देवी पत्नी रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी 23 एमओडी-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
3. कैलाशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी 23 एमओडी-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. अंकित कुमार पुत्र कैलाश चन्द्र पौत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी 23 एमओडी-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
5. दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी 23 एमओडी-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. शकीला पुत्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी 23 एमओडी-बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

. प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन**

वादीगण की ओर से श्री धनराज सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री विनोद बि नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर. ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है। -

1. **वादी (अनिल कुमार)** को तहसील पीलीबंगा के चक 23 एम.ओ. डी. द्वितीय के खाता संख्या 48/34 के प.नं. 6 / 262 (14) किला नं. 1, 2/0.190 (पश्चिम दिशा), 6 ता 15 की कुल 2.973 हैक्. नहरी एवम् इसी चक के खाता संख्या 50/41 के प.नं. 6/262(14) किला नं. 20, 21 की कुल 0.506 हैक्. नहरी इसप्रकार दोनो खातो में कुल 3.479 हैक्. नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।
2. **प्रतिवादी संख्या 3, 4, (कैलाश चन्द्र-अंकित कुमार)** को तहसील पीलीबंगा के चक 23 एम.ओ.डी. द्वितीय के खाता संख्या 51/42 के प.नं. 6/261 (9) किला नं. 17 ता 24 की कुल 2.024 हैक्. नहरी एवम् इसी चक के खाता संख्या 48/34 के प.नं. 6/262(14) किला नं. 2/0.063 (पूर्व दिशा), 3 ता 5 मे कुल 0.822 हैक्. नहरी कृषि भूमि एवम् इसी चक 23 एम.ओ.डी. द्वितीय के संयुक्त खाता संख्या 16/35 के प. नं. 5/260 (5) किला नं. 1,2, 9 ता 13, 18 ता 23 की 3.289 हैक्. व प.नं. 5/262 (13) किला नं. 1 ता 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 की 4.301 हैक्.

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



व प.नं. 6/261(9) किला नं. 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6,7, 14,15,16, 25 की 2.024 हैक्. इसप्रकार कुल रकबा 9.614 हैक्. नहरी मय गै.मु.खाला रास्ता मे 1/19 हिस्सा यानि 0.506 हैक्. नहरी मय गै.मु.खाला रास्ता कृषि भूमि इसप्रकार तीनो खातो मे कुल 3.352 हैक्टर नहरी मय गै. मु.खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि ब.हि. ब. प्राप्त हुई है।

3. **प्रतिवादी संख्या 5 (दिनेश कुमार)** को तहसील पीलीबंगा के चक 4 एच.डी.पी. के खाता संख्या 85/77 के प.नं. 1/263 (63) किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.0228 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 ता 20 की 5.060 हैक्. व प.नं. 2/263 (62) किला 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 ज 16 हैक्. नहरी मय गै.मु.रास्ता मे 1855/3036 हिस्सा यानि 5.565 हैक्. मे से 3.036 हैक्. नहरी मय गै.मु.रास्ता नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।
4. **प्रतिवादी संख्या 1 (रामस्वरूप)** को तहसील पीलीबंगा के चक 4 एच.डी.पी. के खाता संख्या 85/77 के प.नं. 1/263 (63) किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.0228 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 ता 20 की 5.060 हैक्. व प.नं. 2/263 (62) किला 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6169. 108 हैक्. नहरी मय गै.मु. रास्ता मे 1855/3036 हिस्सा यानि 5.565 हैक्. मे से 1.475 हैक्. नहरी मय गै.मु.रास्ता नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है एवम् शेष 1.054 हैक्. कृषि भूमि प्रतिवादीया इमानती देवी के नाम वर्तमान रिकॉर्ड मे यथावत रखी जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी / गैरमुमकिन/गैर खातेदारद्व पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अश्विनी बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपस्थानक अधिवक्ता  
पटवर्धन मुद्राधिकारी पीलीबंगा